133

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

निग -842- II -16

परमेश्वर दास तनय श्री लक्ष्मीनारायण राय
निवासी ग्राम मालथौन तहसील व जिला सागर

.....आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. पन्नालाल उर्फ राजू तनय श्री लक्ष्मीनारायण राय
2. विमला बाई
3. विमलेश
4. उमा
5. संगीता

तनय श्री लक्ष्मीनारायण राय

निवासी ग्राम मालथौन तहसील व जिला सागर

..... प्रतिआवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

पुरीक्षण आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

आज दिनांक 24/2/16 को श्री अभिभाषक द्वारा कैम्प प्रस्तुत
24/2/16

यह कि पुनरीक्षण आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील प्र.क्र. 317अ–16 वर्ष 20115–16 पक्षकार परमेश्वर दास विरुद्ध पन्नालाल उर्फ राजू में पारित आदेश दिनॉक 01.02.2016 से दुखित होकर अन्य आधारों सहित निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत किया जाता है :–

(1) यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, शून्य व प्रभावहीन है ।

(2) यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है ।

(3) यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने यह असत्य मान्य किया है कि पुनरीक्षणकर्ता को अपनी मॉ श्रीमति फूलरानी की पंजीयत वसीयतनामा दिनॉक 13.01.2015 पर वाद–भूमि खसरा नंबर 76/939, 127 रकवा क्रमशः 0.79 हेक्टेयर, 0.64 हेक्टेयर कुल 1.43 हेक्टेयर स्थित ग्राम मालथौन तहसील व ज़िला सागर से संबंधित राजस्व अभिलेख पर नामांतरण के लिए सक्षम न्यायालय से प्रोबेट प्राप्त करना चाहिए ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

परमेश्वरदास / पन्नालाल

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला सागर

प्रकरण कमांक R 842-II/16

परमेश्वर वि. पन्नालाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया. अपर आयुक्त, सागर ने आक्षेपित आदेश दि १-२-१६ से उनके न्यायालय की अपील वसीयतनामे पर सक्षम न्यायालय से प्रोबेट प्राप्त करने की आवश्यकता का लेख करते हुए अपील उसके प्रकाश में प्रचालन योग्य ना पाए जाने के आधार पर निरस्त की है. निगरानी मेमो में लिखे और तर्क में कहे अनुसार संहिता (MPLRC) की धारा १६४ के अनुसार वसीयतनामे के आधार पर भूमिस्वामी का हित अंतरित होने का स्पष्ट प्रावधान है, और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित सम्पत्ती के सम्बन्ध में वसियतनामे को प्रोबेट कराने की आवश्यकता नहीं है. अपने समर्थन में उन्होंने न्यायदृष्टान्त - २००८(II) MPWN १०८, गौरी बहू through LR श्रीमती शशिदेवी वि. गोपाल दास के प्रति प्रस्तुत की जिसमें 'वसियतदार का म प्र राज्य में निवास जहाँ सम्पत्ती स्थित है - प्रोबेट प्रमाण पत्र वैकल्पिक है आज्ञापक नहीं - ए आई आर १९५६ नाग २०९, १९७६ जे एल जे एस एन ९३ तथा २००७(१) MPWN १४ अवलंबित' - प्रस्तुत किया. उपरोक्त तर्कों और ट्रकों के आधारों के प्रकाश में मैं विद्वान अधिवक्ता की इस बात से सहमत हूँ कि वसियतदार के म प्र राज्य में निवास जहाँ सम्पत्ती स्थित हो, होने की स्थिति में अपर आयुक्त को वसीयतनामा प्रोबेट कराने की आवश्यकता के आधार पर अपना निर्णय नहीं लेना चाहिए था. अतः, मैं अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि १-२-१६ एतदद्वारा निरस्त करता हूँ, तथा उन्हें यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय का अपील प्र क्र ३१७/अ१६/१५-१६ पुनः खोलें और उसमे विधिवत सुनवाई एवं अन्य कार्यवाही करते हुए गुणदोष के आधार पर बोलते स्वरुप का स्व-स्पष्ट निर्णय पारित करें. इन्ही निर्देशों के साथ यह प्रकरण रा मं से समाप्त किया जाता है.	

आदेश पारित.

पक्षकार एवं अपर आयुक्त, सागर सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य